सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, इटावा।

दिनांक–24.09.2020

पत्रांक 941/स्पीड/अधिसूचना/स0सु0/2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–112 के अन्तर्गत वाहनों की गति सीमा उल्लेख किया गया है जिसके अन्तर्गत उपरोक्त धारा की उपधारा–2 में गति निबन्धन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को नियम बनाने के अधिकार दिये गये है। उत्तर प्रदेश मोटरवाहन 1988 के नियम–178 में मोटरयान के प्रयोग एवं गति निबन्धन के प्रावधान किये गये है जिसके अन्तर्गत " **शहरी निकायों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी सड़क पर गति पर निबन्धक या सामान्यता मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गो के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है, ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहां से वे लागू होते है, सूचना पटटों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेगे।**

यूपीडा के उपरोक्त पत्र द्वारा मोर्थ की अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 में एक्सप्रेस वे पर दी गयी अधिकतम गति सीमा में परिवर्तन करते हुये **मार्ग– आगरा लखनऊ–एक्सप्रेस वे (102.7 कि.मी से 133कि.मी.) अधिकतम गति सीमा** निम्नतालिकानुसार की संस्तुति की गयी है।

क0 स0	मोटरयान का वर्ग	एक्सप्रेस वे पर मोर्थ द्वारा निर्धारित गतिसीमा	आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यूपीडा द्वारा संस्तुति की गयी गतिसीमा
1	2	4	5
1	ऐसे मोटरयान जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिये किया जाता है (एम 1 प्रवर्ग यान)	120	100
2	ऐसे मोटर यान जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन के लिये किया जाता है (एम 2 और 3 प्रवर्ग यान)	100	80
3	ऐसे मोटरयान जिनका उपयोग माल के वहन के लिये किया जाता है। (सभी एन प्रवर्ग यान)	80	80
4	मोटर साइकिल	80	80

आज्ञा से,

(उमा शंकर यादव)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
इटावा।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश
2. जिलाधिकारी महोदय, इटावा।
3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) कानपुर।
4. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर।

24/9/2020

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
इटावा।